



उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 75/2006

**आवेदकगण:**

1. शब्बीर हुसैन, आयु लगभग 65 वर्ष, पिता स्व. श्री सज्जाद हुसैन,

(अब मृत, प्रतिनिधित्व द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण)

1. (अ) आमना बेगम, पति स्व. शब्बीर हुसैन, आयु लगभग 63 वर्ष।

(ब) शाहिद कासमी, पिता शब्बीर हुसैन, आयु लगभग 36 वर्ष।

(स) नौशाद कासमी, पिता शब्बीर हुसैन, आयु लगभग 34 वर्ष।

(द) शोएब कासमी, पिता शब्बीर हुसैन, आयु लगभग 30 वर्ष।

(ई) सोहेल कासमी, पिता शब्बीर हुसैन, आयु लगभग 28 वर्ष।

(फ) जाहिद कासमी, पिता शब्बीर हुसैन, आयु लगभग 26 वर्ष।

टीप: शब्बीर हुसैन की चूंकि मृत्यु हो चुकी है, आक्षेपित आदेश दिनांक 06.03.2006 को चुनौती देने की अनुमति हेतु पृथक आवेदन शब्बीर हुसैन के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. श्रीमती नगेरा बेगम, आयु लगभग 65 वर्ष, पति स्व. अनवर हुसैन, स्व. श्री सज्जाद हुसैन की पुत्रवधू

सभी निवासी नागोराव शेष स्कूल मेनरोड जूना बिलासपुर, तहसील एवं जिला

बिलासपुर (म.प्र.) (अब छ.ग.) के पास

**विरुद्ध**

**अनावेदकगण:**

1. अहमद हुसैन, आयु लगभग 58 वर्ष, पिता स्व. अमजद हुसैन,



2. इसरार हुसैन, आयु लगभग 55 वर्ष, पिता स्व. अमजद हुसैन,

3. इफ्तेखार हुसैन, आयु लगभग 48 वर्ष, पिता स्व. अमजद हुसैन,

सभी निवासी नागोराव शेष के पास

सभी निवासी नागोराव शेष स्कूल मेनरोड जूना बिलासपुर, तहसील एवं जिला

बिलासपुर (म.प्र.) (अब छ.ग.) के पास

4. मुस. हजारा बेगम, आयु लगभग 67 वर्ष, पति अब्दुल रज्जाक, पिता स्व. अमजद

हुसैन, निवासी ग्राम-उसलापुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर (म.प्र.) (अब छ.ग.)

5. मुस. सबरा बेगम, आयु लगभग 57 वर्ष, पति मोबिन अहमद कुरैशी, पिता स्व.

अमजद हुसैन,

निवासी बैरन बाजार, रायपुर (म.प्र.)(अब छ.ग.)

6. मुस. सायरा बेगम, आयु लगभग 41 वर्ष, पति अब्दुल सत्तार, पिता स्व. अमजद

हुसैन, निवासी टिकरापारा, नॉर्मल स्कूल के पीछे, बिलासपुर (म.प्र.) (अब छ.ग.)

7. नादिरा बेगम, आयु लगभग 38 वर्ष, पति रिजवान, पिता स्व. अमजद हुसैन,

निवासी मस्जिद के पास चांटीडीह बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर (म.प्र.)

(अब छ.ग.)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 115 के अंतर्गत प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 75/2006

शब्बीर हुसैन एवं अन्य

**विरुद्ध**

अहमद हुसैन एवं अन्य

**उपस्थिति:**

- श्री मनिन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता मय श्री भास्कर प्यासी, आवेदकगण के अधिवक्तागण।
- श्री सैफुद्दीन राजस, प्रत्यर्थीगण (अनावेदकगण) के अधिवक्ता।



**मौखिक आदेश**

**(5.7.2006)**

**सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश:**

श्री मणीन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता मय श्री भास्कर प्यासी, आवेदकगण के अधिवक्तागण।

श्री सैफुद्दीन राजस, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता।

पक्षकारों की सहमति से प्रकरण अंतिम रूप से सुना गया क्योंकि पक्षकारों का सम्यक् रूप से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।



(2) यह पुनरीक्षण आदेश दिनांक 6.3.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बिलासपुर द्वारा उनके न्यायालय में लंबित निष्पादन प्रकरण क्रमांक 240-अ/1996 में पारित किया गया है। आदेश के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रत्यर्थागण द्वारा निष्पादन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही में, आवेदकगण ने निम्नानुसार तीन प्रकार की आपतियां प्रस्तुत कीं:-

- (i) यह कि निष्पादन कार्यवाहियां परिसीमा द्वारा वर्जित हैं चूंकि डिक्री दिनांक 9.7.1981 को अंतिम हो गई थी और इसे उक्त दिनांक से 12 वर्ष की अवधि के भीतर निष्पादन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- (ii) यह कि निष्पादन कार्यवाहियों में सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है।
- (iii) निष्पादन याचिका में विधि के अनुसार विवरण समाविष्ट नहीं हैं।

(3) इन आपतियों को निष्पादन न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार से 2-3 पंक्तियों का आदेश पारित करते हुए खारिज कर दिया गया,:

"प्रकरण में जो आपति प्रस्तुत की गई है उस सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन के पश्चात् आपति बिना किसी आधार के होना प्रतीत हो रहा है इसलिए आपति स्वीकार किए जाने का कोई औचित्य दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए प्रकरण में प्रस्तुत आपति निरस्त की जाती है।"

(4) आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 47 का विस्तार इतना व्यापक है कि इसमें निष्पादन न्यायालय द्वारा डिक्री के निष्पादन के संबंध में आदेश पारित करते समय विनिश्चय किए जाने वाले ऐसे प्रश्न



अंतर्विष्ट हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में, निष्पादन न्यायालय ने आवेदकगण द्वारा उठाए गए विवाद में प्रवेश नहीं किया है और उसने शीघ्रता में एक सतही आदेश पारित किया है, जिसे विधि के अनुसार एक न्यायिक आदेश नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने उक्त आदेश को अपास्त करने तथा समुचित निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है।

(5) दूसरी ओर, प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता ने आदेश का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि यद्यपि आदेश में वे कारण समाविष्ट नहीं हैं जिनके आधार पर निष्पादन न्यायालय ने आपतियों को नामंजूर किया है, परंतु, निष्पादन न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर सही दृष्टिकोण अपनाया है। आवेदकगण द्वारा उठाई गई आपतियां खारिज किए जाने योग्य थीं, जिन्हें निष्पादन न्यायालय द्वारा उचित रूप से खारिज किया गया है।

(6) धारा 47 डिक्री के निष्पादनकर्ता न्यायालय द्वारा अवधारित किए जाने वाले प्रश्नों से संबंधित है। यह उपबंधित किया गया है कि डिक्री पारित किए गए वाद के पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच उत्पन्न होने वाले और डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित सभी प्रश्न, डिक्री के निष्पादनकर्ता न्यायालय द्वारा अवधारित किए जाएंगे, न कि पृथक वाद द्वारा। इस धारा के अधीन कतिपय स्पष्टीकरण हैं। इस धारा का समग्र प्रभाव यह है कि जैसे ही संबंधित पक्षकारों द्वारा डिक्री के निष्पादन उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित कोई प्रश्न उठाया जाता है, निष्पादन न्यायालय को उन प्रश्नों का



अवधारण करना होगा और इस संबंध में कोई पृथक वाद आदि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(7) धारा 47 में अंतर्विष्ट उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए, यह स्पष्ट है कि जब आवेदकगण द्वारा डिक्री के निष्पादन के विरुद्ध परिसीमा, पोषणीयता, असंयोजन और समुचित विवरणों के अभाव जैसी आपत्तियां उठाई गई थीं, तो न्यायालय के लिए यह आज्ञापक था कि वह उन पर एक समुचित आदेश पारित करके उन बिंदुओं का विनिश्चय करे, जो इस प्रकरण में नहीं किया गया है।

(8) प्रकरण का एक अन्य पहलू यह है कि निष्पादन न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय तर्कों पर आधारित प्रतीत नहीं होता है। एक न्यायिक आदेश को हमेशा तर्कों पर पारित किया जाना अपेक्षित है और यदि आदेश तर्क-रहित है, तो उसे विधि की दृष्टि में कायम नहीं रखा जा सकता है। तर्क, निर्णयकर्ता के मस्तिष्क से प्रश्नागत विवाद तथा निष्कर्षित निर्णय या निष्कर्ष के मध्य जीवंत कड़ी होते हैं। तर्क देने में विफलता न्याय से इंकार करने के समान है (कृपया देखें अलेक्जेंडर मशीनरी डुडले लिमिटेड विरुद्ध क्रेबट्री (1974 एलसीआर 120), संदर्भ एआईआर 2003 एससी 1462 के पृष्ठ 1467 पर उपलब्ध है)।

(9) उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत, मेरा यह अभिमत है कि निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित इस आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए। तदनुसार इसे अपास्त किया जाता है। निष्पादन न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण को सुनवाई



हेतु ग्रहण करे तथा डिक्री के निष्पादन के संबंध में आदेश पारित करने से पूर्व आवेदकगण द्वारा उठाए गए इन बिंदुओं का विनिश्चय करे। यदि कब्जे के वारंट पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं, तो उन्हें उठाए गए बिंदुओं के विनिश्चय तक प्रास्थगित रखा जाएगा और निष्पादन न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय का सभी दृष्टियों से पालन किया जाएगा।

(10) इस प्रक्रम पर, श्री सैफुद्दीन राजस ने तर्क दिया है कि यह प्रकरण एक पुराना प्रकरण है तथा निष्पादन न्यायालय के लिए कुछ समय-सीमा भी नियत की जानी चाहिए। यह तर्क युक्तियुक्त प्रतीत होता है। यह निर्धारित किया जाता है कि निष्पादन न्यायालय प्रकरण का शीघ्रता से निराकरण करने हेतु आवश्यक कदम उठाए, बशर्ते याचिका के पक्षकार उचित सहयोग प्रदान करें।

(11) पक्षकारों को दिनांक 17 जुलाई 2006 को निष्पादन न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

सही/-  
सुनील कुमार सिन्हा  
न्यायाधीश

====0000====

**(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)**

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।